GOVERNMENT OF RAJASTHAN LAW (Gr.-2) DEPARTMENT

No F.8(7)Law/Gr-2/90/Part-II/28

Jaipur, dated: 24.01.2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Sub-Section (2) of Section 6 of the Legal Services Authority Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), Hon'ble the Governor is pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice Chandrashekhar, Judge of the Rajasthan High Court, Jodhpur as Executive Chairman of the Rajasthan State Legal Services Authority with immediate effect for the period co-terminus with his Superannuation from the date he assumes the charge of this post.

By order,

(Brajendra Jain)
Principal Secretary, Law

Copy forwarded for information and necessary action to the:-

- 1. Hon'ble Mr. Justice Chandrashekhar, Rajasthan High Court, Jodhpur.
- 2. Secretary to the Governor/Pr.Secy. to the Chief Minister, Rajasthan Jaipur.
- 3. Private Secretaries to the Ministers/State Ministers, Jaipur.
- 4. Private Secretary to the Chief Secretary.
- 5. Private Secretary to the Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries to the Government.
- 6. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
- 7. All District & Sessions Judge.
- 8. All Collectors.
- 9. All Members of Rajasthan State Legal Service Authority.
- 10. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur/Jaipur.
- 11. Superintendent, Government Central Press, Jaipur.
- 12. Member Secretary, Rajasthan State Legal Service Authority, Jaipur
- 13. Director, Information & Public Relations, Jaipur.

Special Secretary, Law

राजस्थान सरकार विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.8(7)विधि-2/90/पार्ट-2/28

जयपुर, दिनांकः 24.01.2025

अधिसूचना

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 39) की धारा 6 की उप धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के माननीय न्यायाधिपति श्री चन्द्रशेखर महोदय को तुरन्त प्रभाव से कार्यभार संभालने की दिनांक से उनकी सेवानिवृत्ति तक के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करते है।

(ब्रजेन्द्र जैन) प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. माननीय न्यायाधिपति श्री चन्द्रशेखर, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 2. सचिव, महामहिम राज्यपाल / प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण, राजस्थान, जयपुर।
- 4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपूर।
- 5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर।
- 6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 7. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
- 8. समस्त जिला कलेक्टर।
- 9. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी सदस्यगण।
- 10. रिज्स्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
- 11. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
- 12. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
- 13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, जयपुर।

(सुरेन्द्र पुरोहित) विशिष्ट शासन सचिव, (वि.र.सं.)

राजस्थान सरकार विधि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः प.8(७)विधि-2/90/पार्ट-11/29

जयपुर, दिनांकः 24.01.2025

अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

> विषय:— राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के मनोनयन बाबत् जारी अधिसूचना (हिन्दी एवं अंग्रेजी) का राजपत्र में प्रकाशन कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के मनोनयन बाबत् जारी अधिसूचना (हिन्दी एवं अंग्रेजी) प.8(7)विधि—2/90/पार्ट-II/28 दिनांक 24.01.2025 की प्रति संलग्न कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना (हिन्दी एवं अंग्रेजी) का राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन कर विधि विभाग को प्रेषित करने की व्यवस्था करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय.

(सुरेन्द्र पुरोहित) विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वि.र.सं.)